

कार्यालय प्रधानाचार्य, बी० आर० डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर।  
संख्या /बीआरजी/एमसी-23/ईसी-1 दिनांक: 28 जून, 2023

विज्ञप्ति/सूचना

शासनादेश संख्या-4661/71-1-08-जी-63/2008 दिनांक 15.12.2008 एवं तत्कम में जारी अन्य शासनादेशों के अनुपालन में एन०एम०सी० मानकों की पूर्ति हेतु बी०आर०डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर में विशिष्टतवार रिक्त आचार्य, सह-आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु एतद्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक द्वारा समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति सहित दिनांक 24.07.2023 दिन सोमवार को सायं 05 बजे तक प्राप्त किये जाएंगे। उक्त पदों पर दिनांक 28.07.2023 (शुक्रवार) को तथा उसके पश्चात् विज्ञापित रिक्तियां पूर्ण होने तक प्रत्येक मंगलवार कार्य दिवस के दिन साक्षात्कार आयोजित किये जायेंगे। इन पदों पर साक्षात्कार (Walk-in-Interview) के माध्यम से कालेज द्वारा संस्तुति के आधार पर शासन/महानिदेशालय के स्तर से चयन किया जाना है। इच्छुक अर्ह अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि उक्त पदों पर साक्षात्कार हेतु बी०आर०डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर के प्रधानाचार्य कालेज कमेटी कक्ष, में प्रातः 10:00 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उ०प्र० शासन कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-5/2019/4/1/2002/का-2/2019/टी.सी.1 लखनऊ दिनांक 13 अगस्त, 2019 के द्वारा 100 प्वाइंट रोस्टर के अनुसार रिक्त पदों का विशिष्टतवार विवरण निम्नवत् है।

| क्र०सं० | विशिष्टता का नाम                                        | रिक्त पदों का विवरण 100 प्वाइंट रोस्टर के अनुसार |    |     |     |    |           |    |     |     |    |              |    |     |     |    |
|---------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|-----|-----|----|-----------|----|-----|-----|----|--------------|----|-----|-----|----|
|         |                                                         | आचार्य                                           |    |     |     |    | सह-आचार्य |    |     |     |    | सहायक आचार्य |    |     |     |    |
|         |                                                         | SC                                               | UR | OBC | EWS | ST | SC        | UR | OBC | EWS | ST | SC           | UR | OBC | EWS | ST |
| 1       | आर्थोपेडिक्स                                            | 1                                                | -- | --  | --  | -- | --        | 1  | --  | --  | -- | --           | -- | --  | 1   | -- |
| 2       | आपथलमोलोजी                                              | --                                               | 1  | 1   | --  | -- | --        | -- | 1   | --  | -- | --           | -- | --  | --  | -- |
| 3       | आब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलॉजी                         | --                                               | 1  | --  | --  | -- | --        | -- | --  | --  | -- | 1            | 1  | 1   | --  | -- |
| 4       | इम्यूनो हिमेटोलॉजी एण्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन (ब्लड बैंक)   | --                                               | -- | 1   | 1   | -- | --        | 1  | --  | --  | -- | --           | 1  | --  | --  | -- |
| 5       | इमरजेन्सी मेडिसिन                                       | 1                                                | -- | --  | --  | -- | --        | -- | 1   | --  | -- | --           | -- | 1   | --  | -- |
| 6       | एनार्टॉमी                                               | --                                               | -- | --  | --  | -- | --        | -- | --  | --  | -- | --           | 1  | 1   | --  | -- |
| 7       | एनेस्थीसियोलॉजी                                         | --                                               | 1  | 1   | --  | -- | 2         | 2  | 1   | 1   | -- | 3            | 5  | 3   | 1   | -- |
| 8       | आटो-राइनो लैरिंगोलॉजी                                   | --                                               | 1  | --  | --  | -- | --        | 1  | --  | --  | -- | --           | -- | --  | 1   | -- |
| 9       | कम्यूनिटी मेडिसिन                                       | 1                                                | -- | --  | --  | -- | --        | 1  | --  | --  | 1  | 1            | 1  | 1   | --  | -- |
| 10      | सामान्य मेडिसिन                                         | --                                               | 1  | 2   | 1   | -- | 1         | 1  | 1   | 1   | -- | --           | 2  | 1   | --  | -- |
| 11      | सामान्य सर्जरी                                          | 1                                                | 1  | 1   | --  | -- | --        | 2  | 2   | --  | -- | --           | 1  | --  | --  | 1  |
| 12      | ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन/पल्मोनरी मेडिसिन | --                                               | 1  | --  | --  | -- | --        | 1  | --  | --  | -- | --           | -- | --  | --  | -- |
| 13      | डर्मेटोलॉजी, वेनेरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी                   | --                                               | -- | --  | --  | -- | 1         | -- | --  | --  | -- | 1            | -- | --  | --  | -- |
| 14      | पीडियाट्रिक्स                                           | --                                               | -- | --  | --  | 1  | 1         | 2  | 2   | 1   | -- | 1            | 3  | 2   | 1   | -- |
| 15      | पैथालोजी                                                | --                                               | -- | --  | --  | -- | 1         | -- | --  | --  | -- | --           | 1  | 1   | --  | -- |
| 16      | फार्माकालोजी                                            | --                                               | 1  | 1   | --  | -- | --        | 1  | --  | --  | -- | --           | -- | 1   | --  | -- |
| 17      | फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन                        | --                                               | -- | --  | --  | -- | --        | -- | --  | --  | -- | --           | -- | --  | 1   | -- |
| 18      | फिजियोलोजी                                              | --                                               | -- | --  | --  | -- | --        | -- | 1   | --  | -- | --           | -- | --  | --  | -- |
| 19      | फोरेन्सिक मेडिसिन                                       | 1                                                | -- | --  | --  | -- | --        | -- | --  | --  | -- | --           | -- | --  | --  | -- |
| 20      | बायोकैमिस्ट्री                                          | --                                               | -- | --  | --  | -- | --        | 1  | --  | --  | -- | 1            | 1  | --  | --  | -- |
| 21      | माइक्रोबायोलोजी                                         | --                                               | 1  | --  | --  | -- | --        | 1  | 1   | --  | -- | --           | -- | 1   | --  | -- |
| 22      | रेडियोडायग्नोसिस                                        | --                                               | 1  | --  | --  | -- | 1         | -- | --  | 1   | -- | 1            | 2  | --  | --  | -- |
| 23      | रेडियोथेरेपी                                            | --                                               | -- | --  | --  | -- | --        | -- | 1   | --  | -- | --           | -- | --  | --  | -- |
|         | कुल योग                                                 | 5                                                | 10 | 7   | 2   | 1  | 7         | 15 | 11  | 4   | 1  | 9            | 19 | 13  | 5   | 1  |



नोट:- किसी भी विभाग में आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर एन0एम0सी0 के मानकों की पूर्ति एवं आगामी एम0सी0आई0 के औचक निरीक्षण के दृष्टिगत साक्षात्कार के समय अन्य श्रेणी के उपलब्ध अर्ह अभ्यर्थी से उक्त पद को इस शर्त के साथ कि न्यूनतम 01 वर्ष की अवधि अथवा पद पर नियमित/अगली नियुक्ति होने अथवा उक्त श्रेणी का अभ्यर्थी मिलने तक जो भी पहले घटित हो, पर विचार किया जा सकता है।

संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत् हैं-

1. संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले आचार्यों को शासनादेश संख्या-104/2019/5044(1)271-1-2019-जी-63/2008 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियत वेतन रु 1,35,000/- सह-आचार्यों के नियत वेतन रु 1,20,000/- एवं सहायक आचार्यों का नियत वेतन रु 90,000/- प्रतिमाह देय है। वेतन के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। शासकीय पत्र सं0 250/2018/4067/71-1-2017-जी-63/2008 चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक- 20 सितम्बर 2018 एवं शासकीय पत्र सं0- 71-1001(099)/304/2021-1-435 1/111674/2021 दिनांक 02 नवम्बर, 2021 के द्वारा राजकीय चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं के सेवानिवृत्त आचार्य को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त संविदा के आधार पर आचार्य के पद पर नियुक्त करने हेतु नियत वेतन रु 2,20,000/- प्रतिमाह दिया जाएगा। सेवा शर्तों विषयक विवरण महानिदेशालय एवं कॉलेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। आवेदक को Medical Council of India, Minimum, Qualification for teacher in Medical Institutions Regulation, 1999 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी प्रकार के भत्तों, बोनस एवं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के का हकदार नहीं होगा।
2. शासनादेश संख्या- 562/71-1-2020-जी-63/2008 दिनांक 10.06.2020 के प्रस्तर-2 के अनुसार संविदा पद नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष तथा सह-आचार्य हेतु 64 एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
3. एन0एम0सी0 मानकों के अनुसार सहायक-आचार्य पद के लिये सम्बन्धित विभाग में 01 वर्ष के एस0आर0/ट्यूटर अथवा एन0एम0सी0 मानकों के अनुरूप अनुभव होना अनिवार्य है।
4. चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उ0प्र0 राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2005 में निहित व्यवस्था के अनुसार होना आवश्यक है।
5. चयनित चिकित्सा शिक्षक ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
6. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
7. कोई भी चिकित्सा शिक्षक मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
8. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कॉलेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
9. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी भी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
10. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं संविदा सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।
11. चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल 01 वर्ष का होगा एक वर्ष की संतोषजनक सेवाओं के पश्चात् उ0प्र0 शासन के शासनादेशों के अनुरूप ही अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए आवश्यक होगा कि वह अनुबन्ध के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण की





- सूचना सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ को तत्काल भेजी जायेगी।
13. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी भी प्रकार के पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिए बोनस देय नहीं होगा।
  14. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होंगे।
  15. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष और किसी भी समय एक माह की सूचना या उसके बदले एक माह का वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
  16. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जिसे करार या अनुबंध में विनिर्दिष्ट की जायें। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षक द्वारा अनुबंध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जाएगा कि भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
  17. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय को घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरुद्ध मा० न्यायालय में कोई आपराधिक वाद प्रचलित नहीं है और यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी।
  18. उक्त संविदा पदों पर चयन, महाविद्यालय स्तर पर चयन समिति की संस्तुति के आधार पर शासन/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ के द्वारा की जाएगी। अन्तिम चयन की प्रक्रिया शासन/महानिदेशालय द्वारा निर्गत आदेशों/निर्देशों के अधीन होगी।
  19. उ०प्र० शासन कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश सं०- 5/2019/4/1/2002/का-2/2019टी.सी.1 लखनऊ दिनांक 13 अगस्त 2019 के अनुसार शासन से अद्यतन निर्गत 100 बिन्दु के रोस्टर के अनुसार आरक्षण लागू होगा।
  20. नियुक्ति सम्बन्धी शर्तें कॉलेज की वेबसाइट [www.brdmc.ac.in](http://www.brdmc.ac.in) अथवा महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण जवाहर भवन लखनऊ की वेबसाइट [www.updgme.com](http://www.updgme.com) पर प्रदर्शित है।
  21. पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।
  22. साक्षात्कार हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

/

प्रधानाचार्य  
बी०आर०डी० मेडिकल कालेज  
गोरखपुर।

संख्या- 22 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण जवाहर भवन, छठा तल, उ०प्र० लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को महानिदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
3. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर, मेरठ, आगरा, झांसी, आजमगढ़, प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, कन्नौज, जालौन, सहारनपुर, बदायूं को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त सूचना को अपने नोटिस बोर्ड पर चरपा करने का कष्ट करें।
4. प्रभारी अधिकारी-वेबसाइट, बी०आर०डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को कालेज की वेबसाइट [www.brdmc.ac.in](http://www.brdmc.ac.in) पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।
5. कालेज/चिकित्सालय नोटिस बोर्ड/सूचना पट्ट।

/

प्रधानाचार्य  
बी०आर०डी० मेडिकल कालेज  
गोरखपुर।





बी०आर०डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर।

अभ्यर्थी का विवरण

1. अभ्यर्थी का नाम-.....
2. पिता/पति का नाम-.....
3. पूरा पता-.....  
.....
4. जाति..... जन्म तिथि.....
5. आवेदित पद का नाम-.....
6. आवेदित विभाग का नाम-.....
7. मोबाईल/ई०-मेल आईडी नं०-.....
8. शैक्षिक योग्यताओं का विवरण नीचे दिये गये प्रारूप में भरे।

| क्र०सं० | शैक्षिक अर्हता | कालेज/विश्वविद्यालय का नाम | वर्ष | प्रतिशत |
|---------|----------------|----------------------------|------|---------|
| 1.      | एम०बी०बी०एस०   |                            |      |         |
| 2       | पी०जी०         |                            |      |         |
| 3       |                |                            |      |         |
| 4       |                |                            |      |         |

9. कोई अन्य अनुभव-.....  
.....  
.....

हस्ताक्षर—

दिनांक:—